पत्रांक : 04/NULM - 02/16 -- 1759 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग |

सेवा में,

श्री दीपक कुमार सिंह,
सचिव- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,
बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना |

पटना, दिनांक 27/7/17

विषय : कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण कार्य में BSDM पोर्टल से सम्बन्धित परेशानियों के सम्बन्ध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है की विभाग द्वारा 1 जुलाई -2017 से विधिवत प्रशिक्षण केन्द्रों को उद्घाटन करा दिया गया है | परन्तु वर्तमान में वैसे केन्द्रों में ही प्रशिक्षण कार्य शुरू हो पाये है, जहाँ Certified ट्रेनर उपलब्ध है | उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके इस हेतु 10 जुलाई -2017 को BSDM के सभागार में SDCs एवं नगर मिशन प्रबंधकों की संयुक्त रूप से BSDM portal से सम्बन्धित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित करायी गई थी | प्रशिक्षणोंप्रांत नगर निकायों एवं राज्य स्तर द्वारा प्रशिक्षण कार्यों का किर्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुचारू रूप से किया जा सके, इस हेतु BSDM पोर्टल पर निम्न प्रावधानों का होना आवश्यक है |

Login से सम्बन्धित

- विभाग को पूर्व में नगर निकायों को BSDM पोर्टल पर login हेतु User-ID एवं password उपलब्ध कराया गया था, जिसे नगर निकाय change नहीं कर पा रहे हैं, जिससे User- ID का गलत प्रयोग की सम्भावना है | अत: नगर निकायों को password , reset या change करने का प्रावधान किया जाय |
- नगर निकायों से login होने के उपरांत नगर निकायों के डैशबोर्ड पर अनावश्यक रूप से अन्य नगर निकायों के अधीन बैच की विवरणी भी दिखाई दी रही है, जिससे नगर निकायों में असमंजस पैदा हो रहा है |

Certified प्रशिक्षक से सम्बन्धित

- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पास Certified trainer की उपलब्धता की कमी है, जिसकी वजह से ज्यादा केन्द्रों पर प्रशिक्षण शुरू नहीं हो पा रहे है |
- पोर्टल पर लाभार्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प है जबकि Trainers की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है | अत: Trainers के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान किया जाय |

Reporting से सम्बन्धित

- लाभार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से SDCs द्वारा किया जाना है, जिसका अनुश्रवण नगर निकायों द्वारा या तो भौतिक रूप से या ऑनलाइन रूप से किया जाना है | इसका अनुश्रवण राज्य स्तर द्वारा भी किया जाना है | पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण करने का प्रावधान नगर निकायों / राज्य स्तर के login से उपलब्ध नहीं है | उदाहरण स्वरूप : यदि किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति किसी particular अवधि के दौरान कितने दिनों की है या किसी विशेष दिन कितने प्रशिणार्थियो ने class किया है, इसकी जानकारी सिर्फ उस SDCs के login से ही देखी जा सकती है | अत: portal के माध्यम से नगर निकायों / राज्य स्तर के login से किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये |

मेनू से सम्बन्धित

- BSDM पोर्टल के Work Allocation मेनू के तहत Target-Department सब-मेनू में search criteria में SDC-District / SDC -Block / Course के नाम / Center के नाम के अनुसार सर्च करने के विकल्प होना चाहिये और साथ ही रिपोर्ट हेतु Excel और PDF फॉर्म में डाउनलोड करने का विकल्प भी आवश्यक है |
- BSDM पोर्टल के On-going Batch Inspection मेनू के तहत भी search criteria में Center के नाम / Period के अनुसार सर्च करने के विकल्प होना चाहिये और साथ ही रिपोर्ट हेतु Excel और PDF फॉर्म में डाउनलोड करने का विकल्प भी आवश्यक है |
- BSDM पोर्टल के Batch Inspection मेनू के तहत भी Search criteria में ALL / Center के नाम / Period (उदाहरणस्वरूप : 01/04/2017 से 31/03/2018) के अनुसार सर्च करने के विकल्प होना चाहिये और साथ ही रिपोर्ट हेतु Excel और PDF फॉर्म में डाउनलोड करने का विकल्प भी आवश्यक है |
- BSDM पोर्टल के बैच मैनेजमेंट मेनू के तहत यदि किसी बैच का अनुमोदन किसी कारणवश नगर निकायों द्वारा रदद् किया जाता है , तो SDCs के पास डाटा को केवल remove करने का विकल्प है जबकि modify करने का विकल्प का होना आवश्यक है |

Work order (कार्यादेश) जारी करने के सम्बन्ध में :

- प्रशिक्षण करने के पूर्व SDCs को नगर निकायों द्वारा बैच प्रारंभ करने के पूर्व बैच के विरुद्ध कार्यादेश जारी करना है | इस हेतु portal पर सिर्फ कार्यादेश भेजे जाने का विकल्प है , जबकि कार्यादेश नगर निकायों को भेजने के पहले कार्यादेश देखने का विकल्प, कार्यादेश प्रिंट लेने का विकल्प एवं जिन प्रशिणार्थियो के विरुद्ध कार्यादेश जारी की जा रही है, उसकी सूचि भी प्रिंट करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाय |
- Portal आधारित Work-order में Category-2 के तहत कोर्स की दर Rs. 36.30 प्रति घंटे के बजाय Rs. 34.70 प्रति घंटे के हिसाब से गणना की गई है |
- Payment Schedule अंतर्गत 3rd Installment का भुगतान BSDM के अनुसार 50% लाभार्थियों के नियोजन उपरांत ही भुगतान किया जाना है जबकि DAY-NULM की दिशानिर्देश के अनुसार 70% लाभार्थियों के नियोजन का प्रावधान है | अत: इसे 50% से बदलकर 70% रखा जाय |
- **समस्या निवारण प्रणाली की व्यवस्था** : वर्तमान में नगर निकायों द्वारा विभाग के DAY-NULM अधीन राज्य प्रबंधक को whatsapp या mail से प्राप्त होती है एवं तत्पश्चात Urban Manager - BSDM को भेजी जाती है | इस दौरान समस्या के हल होने में काफी समय लगता है | नगर निकायों एवं SDCs द्वारा portal सम्बन्धित समस्याओं का समाधान ससमय एवं यथाशीघ्र हो, इसके लिए नगर निकायों एवं SDCs को पोर्टल के माध्यम से Issue को highlight करने का प्रावधान होना चाहिये और नगर निकायों / SDCs द्वारा उठाये गए समस्या का निष्पादन (Life Cycle) portal पर राज्य स्तर के login से दिखाई दे सके |

अन्य

- BSDM की नीति अनुसार किसी भी बैच का प्रचालन महीने के 1 या 15 वीं तारिख को शुरू होनी है | परन्तु विगत सप्ताह के दौरान नगर निकायों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यदि कोई नगर निकाय उक्त तिथि को प्रशिक्षण शुरू नहीं कर पाता है, तो उस परिस्थिति में नगर निकायों एवं SDCs को बैच शुरू करने हेतु 2-3 अतिरिक्त कार्य-दिवस दिया जाना उचित होगा |

अत: अनुरोध है की वर्णित विन्दुओं का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय |

विश्वासभाजन

26/7/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग